रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 202] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 17, 2017/फाल्गुन 26, 1938
No. 202] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 17, 2017/PHALGUNA 26, 1938

IndiaCode

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2017

सा.का.नि. 258(अ).—केन्द्रीय सरकार कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 133 और कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 210क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय लेखांकन मानक सलाहकार समिति के परामर्श से कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये नियम 01.04.2017 से प्रवृत्त होंगे।

2. मूल नियमों में, शीर्षक "ख. भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस)" के अन्तर्गत "अनुबंध" में "भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 102, शेयर - आधारित भुगतान'' में –

(i) पैरा 19 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"19. 'इक्विटी' लिखतों को स्वीकृत करना सशर्त हो सकता है, जब विनिर्दिष्ट निहित शर्तों को पूरा किया जाता है। उदाहरणार्थ, किसी कर्मचारी को शेयरों या शेयर विकल्पों को स्वीकृत करने की एक विशेष शर्त यह हो सकती है कि वह कर्मचारी विनिर्दिष्ट समयावधि के लिए प्रतिष्ठान के रोजगार में बना रहे और कार्य-निष्पादन की शर्तें भी हो सकती हैं, जिन्हें अवश्य पूरा किया जाना चाहिए, जैसे कि प्रतिष्ठान द्वारा लाभ में विनिर्दिष्ट वृद्धि को प्राप्त करना या प्रतिष्ठान के शेयर मूल्य में विनिर्दिष्ट वृद्धि होना। बाजार शर्तों से भिन्न, निहित शर्तों को ध्यान में नहीं रखा जायेगा जब माप तिथि पर शेयर या शेयर विकल्पों के उचित मूल्य का आकलन किया जाता है। इसके स्थान पर, बाजार परिस्थितियों से भिन्न निहित शर्तों को बहुत से 'इक्विटी' लिखतों, जिनमें लेन-देन की राशि का माप भी शामिल है, को समायोजित करके हिसाब में लिया जायेगा ताकि अंततः स्वीकृत किये गए 'इक्विटी' लिखतों के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं के लिए अंततोगत्वा निहित मान्य राशि 'इक्विटी' लिखतों की संख्या पर आधारित होगी और अतः मिश्रित आधार पर कोई भी राशि प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं के लिए मान्य नहीं की गई है, यदि स्वीकृत 'इक्विटी' लिखतें बाज़ार परिस्थिति से भिन्न निहित शर्त को पूरा नहीं कर पाने के कारण निहित नहीं किये जाते हैं, उदाहरणार्थ पैरा 21 की अपेक्षाओं के अधीन

प्रतिपक्ष (काउंटर पार्टी) विनिर्दिष्ट सेवा अवधि पूरा करने में सफल नहीं होते हैं या कार्य-निष्पादन की शर्तों को पूरा नहीं कर पाते हैं।"

(ii) पैरा 30 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"30 पैरा 31-33घ की अपेक्षाओं के अधीन, नकद रूप से निपटान किए गए शेयर- आधारित भुगतान संबंधी लेन-देनों के लिए प्रतिष्ठान प्राप्त की गई वस्तुओं या सेवाओं और वहन किए गए दायित्व का माप दायित्व के उचित मूल्य पर करेगा। जब तक दायित्व का निपटान नहीं हो जाता है, प्रतिष्ठान प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में और निपटान की तिथि पर दायित्व के उचित मूल्य पर पुनर्माप करेगा और उचित मूल्य में हुए किसी परिवर्तनों को उस अवधि के लाभ या हानि में मान्यता देगा।"

(iii) पैरा 31 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"31 उदाहरणार्थ, प्रतिष्ठान कर्मचारियों को पारिश्रमिक पैकेज के भाग के रूप में शेयर मूल्यवृद्धि अधिकार स्वीकृत कर सकता है जिसके द्वारा कर्मचारी भावी नकद भुगतान (बजाय एक 'इक्विटी' लिखत के) के हकदार हो जायेंगे जो कि विनिर्दिष्ट समयावधि में विनिर्दिष्ट स्तर से प्रतिष्ठान के शेयर कीमत में वृद्धि पर आधारित होगा। विकल्पतः प्रतिष्ठान अपने कर्मचारियों को भावी नकद भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्वीकृत कर सकता है। उन्हें शेयर का अधिकार (शेयर विकल्पों का प्रयोग करके जारी किए गए शेयरों सहित) देकर जो मोचनीय हैं, या तो अनिवार्य रूप से (उदाहरणतः रोजगार की समाप्ति पर) या कर्मचारी के विकल्प पर, ये व्यवस्थाएं नकद भुगतान शेयर- आधारित भुगतान लेनदेनों के उदाहरण हैं। शेयर वृद्धि अधिकारों का प्रयोग पैरा 32-33घ की कुछ अपेक्षाओं के दृष्टांतस्वरूप किया जाता है। फिर भी, इन अनुच्छेदों की अपेक्षाएं सभी नकद भुगतान शेयर- आधारित भुगतान लेन-देनों पर लागू होती हैं।"

(iv) पैरा 33 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"33 दायित्व का माप, आरंभ में तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में तब तक किया जाएगा जब तक उसका निपटान नहीं हो जाता है, शेयर मूलवृद्धि अधिकारों के उचित मूल्य पर, विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल का प्रयोग करके उन शर्तों एवं निबंधनों को ध्यान में रखकर, जिन पर शेयर मूल्यवृद्धि अधिकार स्वीकृत किये गये थे और पैरा 30क-33घ की अपेक्षाओं के अधीन उस सीमा तक जहां तक कर्मचारियों ने उस तिथि तक सेवा प्रस्तुत की थीं। एक प्रतिष्ठान उन शर्तों व निबंधनों का भी संशोधन कर सकता है जिन पर नकद- भुगतान शेयर- आधारित भुगतान किये जाते हैं। एक शेयर- आधारित भुगतान संबंधी लेन-देन, जो अपना वर्गीकरण नकद- भुगतान से इक्विटी - भुगतान में परिवर्तित कर लेता है विषयक संशोधन दिशा-निर्देश अनुबंध ख के पैरा ख44क - ख44ग में दिए गए हैं।"

(v) पैरा 33 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा व शीर्षक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"निहित एवं गैर-निहित शर्तों का व्यवहार

33क एक नकद रूप में निपटाया जाने वाला शेयर - आधारित भुगतान-लेन-देन निश्चित निहित शर्तों के पूरा करने पर हो सकता है। कार्य-निष्पादन शर्तें भी हो सकती हैं जिन्हें पूरा करना आवश्यक है जैसे कि प्रतिष्ठान द्वारा लाभ में निश्चित वृद्धि लाना या प्रतिष्ठान के शेयर मूल्य में निश्चित वृद्धि होना। माप तिथि को नकद रूप से निपटाये गये शेयर- आधारित भुगतान के उचित मूल्य के प्राक्कलन के समय बाजार परिस्थितियों को छोड़कर अन्य निहित शर्तों को विचार में नहीं लिया जाएगा। इसकी बजाय, बाजार परिस्थितियों से भिन्न निहित शर्तों को लेन-देन से उत्पन्न दायित्व के माप में सम्मिलित प्रोत्साहनों (अवार्डों) की संख्या समायोजित करते हुए विचार में लिया जाएगा।

33ख. पैरा 33क में दी गई अपेक्षाओं के प्रयोग में प्रतिष्ठान निहित अवधि के दौरान वस्तुओं या सेवाओं के लिए प्राप्त राशि को मान्यता देगा। यह राशि प्रत्याशित निहित प्रोत्साहनों (रिवार्डों) की संख्या के सर्वोत्तम उपलब्ध प्राक्कलन पर आधारित होगी। यदि गत प्राक्क्लनों के प्रत्याशित निहित प्रोत्साहनों (अवार्डों) की संख्या में भिन्नता पायी जाती है तो इस प्रकार की पारवर्ती सूचना के आधार पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिष्ठान प्राक्कलन को संशोधित कर लेगा। निहित तिथि को, प्रतिष्ठान प्राक्कलन का संशोधन इस प्रकार करेगा कि अन्ततः निहित प्रोत्साहनों (अवार्डों) की संख्या के समान हो जाए।

33ग. बाजार परिस्थितियों, जैसे कि शेयर कीमत का लक्ष्य जिस पर निहित करना (या प्रयोगात्मकता) आधारित है एवं गैर निहित शर्तों पर विचार तब किया जाएगा जब स्वीकृत नकद रूप से निपटाये गए शेयर - आधारित भुगतान के उचित मूल्य का प्राक्कलन (अनुमान) किया जाता है और जब प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निपटान की तिथि को उचित मूल्य का पुनर्माप किया जाता है।

33घ. पैरा 30-33ग के प्रयोग के परिणामस्वरूप, नकद रूप से निपटाए गए शेयर - आधारित भुगतान की प्रतिफल के रूप में वस्तुओं या सेवाओं की प्राप्त संचित अन्ततः मान्य राशि अदा की गई नकदी के समान होगी।

कर दायित्वों को रोकने के लिए निवल निपटान विशेषता वाले शेयर-आधारित भुगतान संबंधी लेनदेन

33ङ. कर नियमावली या विनियमावली एक प्रतिष्ठान को यह बाध्य करती है कि वह शेयर -आधारित भुगतान से संबंधित कर्मचारी के कर दायित्व (बाध्यता) की राशि को रोककर उसकी ओर से कर प्राधिकारियों को सामान्यतया नकद स्वरूप अंतरित करे। इस बाध्यता की पूर्ति के लिए शेयर - आधारित भुगतान व्यवस्था की शर्तें इस बात की अनुमति दें या प्रतिष्ठान से अपेक्षा करें कि वह कर्मचारी को शेयर - आधारित भुगतान के प्रयोग (या निहित करने) द्वारा उसे जारी किए जाने वाली कुल इक्विटी लिखतों के मौद्रिक मूल्य में से कर्मचारी के कर दायित्व के समान राशि को रोक ले। (अर्थात् शेयर- आधारित भुगतान व्यवस्था में निवल निपटान विशेषता है।)

33च. पैरा 34 की अपेक्षा के अपवादस्वरूप, पैरा 33ङ में वर्णित लेनदेन पूर्ण रूप से इक्विटी के रूप में निपटाया गया शेयर - आधारित लेनदेन के रूप में वर्गीकृत होगा बशर्ते निवल निपटान विशेषता के अभाव में इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है।

33छ. प्रतिष्ठान, शेयर - आधारित भुगतान से संबंधित कर्मचारी के कर दायित्व के भुगतान के लिए निधि के लिए शेयरों के रोकने के लेखे के लिए इस मानक का पैरा 29 का प्रयोग करता है। अतः किए गए भुगतान का लेखा रोके गए शेयरों की इक्विटी में से कटौती के रूप में किया जाएगा लेकिन उस सीमा को छोड़कर कि भुगतान रोकी गई इक्विटी लिखतों की निवल निपटान तिथि को उचित मूल्य से अधिक हो।

33ज. पैरा 33च का अपवाद निम्नलिखित पर लागू नहीं होता है:-

(क) एक शेयर - आधारित भुगतान व्यवस्था जो निवल (शुद्ध) निपटान विशेषता सहित हो और जिसमें प्रतिष्ठान पर ऐसी कोई बाध्यता न हो कि वह शेयर - आधारित भुगतान के साथ कर्मचारी के कर दायित्व के लिए कर नियमावली के अंतर्गत किसी राशि को रोके, अथवा

(ख) कोई इक्विटी लिखतें जिन्हें प्रतिष्ठान शेयर - आधारित भुगतान के साथ कर्मचारी के कर दायित्व से अधिक राशि रोकता है (अर्थात् प्रतिष्ठान शेयरों की वह राशि रोकता है जो कर्मचारी के कर दायित्व के मौद्रिक मूल्य से अधिक हो)। इस प्रकार के रोके गए अतिरिक्त (अधिक) शेयरों का लेखा नकद रूप से निपटाया गया शेयर - आधारित भुगतान के रूप में होगा जब इस राशि का कर्मचारी को भुगतान नकद रूप से (या अन्य आस्तियों के रूप में) किया जाता है।"

(vi) पैरा 52 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"52. यदि इस मानक द्वारा कोई सूचना प्रकट करना अपेक्षित हो जोकि पैरा 44, 46, और 50 के सिद्धांतों को पूरा नहीं करती है, तो प्रतिष्ठान ऐसी अतिरिक्त सूचना को प्रकट करेगा जो उन्हें संतुष्ट करने के लिए आवश्यक हो। उदाहरणस्वरूप यदि एक प्रतिष्ठान पैरा 33च के अनुसरण में किसी शेयर - आधारित भुगतान के लेनदेन का इक्विटी के रूप में निपटाए गए, के रूप में वर्गीकृत करता है तो प्रतिष्ठान उस राशि का प्राक्कलन (अनुमान) प्रकट करेगा जिसे वह कर्मचारी के कर दायित्व के निपटान के लिए कर प्राधिकारी को अंतरित करने की प्रत्याशा करता है। यह प्रकटन प्रयोगकर्ताओं की सूचना के लिए आवश्यक होगा ताकि वे जान सकें कि शेयर- आधारित भुगतान व्यवस्था के साथ भविष्य में नकदी प्रवाह की राशियां कितनी होगी।"

(vii) पैरा 52 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा व शीर्षक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"संक्रमणकालीन उपबंध

53-59 (देखिए परिशिष्ट 1)

59क. एक प्रतिष्ठान पैरा 30-31, 33-33ज और ख44क-ख44ग के निम्नलिखित संशोधनों का प्रयोग करेगा। गत अवधियों का पुनर्कथन नहीं किया जाएगा।

(क) पैरा ख44क-ख44ग के संशोधन केवल उन्हीं संशोधनों पर लागू होंगे जो उस तिथि को या उसके बाद की तिथि को किए जाते हैं जिस तिथि को प्रतिष्ठान उन संशोधनों का प्रथमवार प्रयोग करता है।

(ख) पैरा 30-31 व 33-33घ में संशोधन उन शेयर - आधारित भुगतान के लेनदेनों पर लागू होते हैं जो उस तिथि को अनिहित हैं जिस पर प्रतिष्ठान संशोधनों का प्रयोग करता है और उन शेयर - आधारित भुगतान के लेनदेनों पर लागू होते हैं जिनकी स्वीकृति (ग्रांट) तिथि वह या उसके बाद की है जिस पर प्रतिष्ठान ने संशोधनों का प्रयोग प्रथम वार किया है। अनिहित शेयर - आधारित भुगतान के लेनदेनों के लिए जिनकी स्वीकृति (ग्रांट) तिथि उस तिथि से पूर्व की

है जिस पर या जिसके बाद प्रतिष्ठान ने संशोधनों का प्रयोग प्रथमवार किया है, प्रतिष्ठान उस तिथि को दायित्व का पुनर्मापन करेगा और पुनर्माप के प्रभाव को उस रिपोर्टिंग अवधि के, जिसमें कि संशोधनों का प्रथमवार प्रयोग किया गया है, प्रारंभिक धारित अर्जन (या इक्विटी के अन्य घटक में, जैसा भी उचित हो) मान्यता देगा।

(ग) पैरा 33ङ-33ज में संशोधन और पैरा 52 में संशोधन शेयर-आधारित भुगतान के उन लेनदेनों पर लागू होते हैं, जो उस तिथि को अनिहित हैं (या निहित तो हैं) लेकिन प्रयोग रहित है। जिस तिथि को प्रतिष्ठान प्रथमवार संशोधनों का प्रयोग करता है और शेयर- आधारित भुगतान के उन लेनदेनों पर लागू होते हैं जिनकी स्वीकृति (ग्रांट) तिथि वह या उसके बाद की है जिस पर प्रतिष्ठान ने संशोधनों का प्रथमवार प्रयोग किया है। अनिहित (अथवा निहित लेकिन प्रयोग रहित) शेयर - आधारित भुगतान के लेनदेनों (या इनके घटकों) को जिन्हें पहले नकद रूप से निपटाए गए शेयर- आधारित भुगतान के रूप में वर्गीकृत किया गया था लेकिन अब इक्विटी द्वारा निपटाए के रूप में वर्गीकृत किया गया है, प्रतिष्ठान अब शेयर - आधारित भुगतान दायित्व के अग्रणीत मूल्य को इक्विटी के साथ संशोधनों के अनुसार उस तिथि को पुनः वर्गीकृत करेगा जिस तिथि को प्रतिष्ठान संशोधनों का प्रयोग करता है।

59ख. पैरा 59क में दी गई अपेक्षाओं के बावजूद, एक प्रतिष्ठान पैरा 63घ में दिए गए संशोधनों को पूर्ववर्ती प्रभाव से भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 8, *लेखा नीतियां, लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तन एवं त्रुटियां* के अनुसरण प्रयोग में ला सकता है यदि, और केवल यदि, स्थिति की बाद में स्पष्टता होने के बिना यह संभव हो । यदि प्रतिष्ठान पूर्व प्रभाव के विकल्प का चयन करता है तो वह इसका प्रयोग सभी संशोधनों पर भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस)102 के अधीन *(शेयर- आधारित भुगतान के लेनदेनों के वर्गीकरण एवं माप में संशोधन)* के अनुसार करे।

प्रभावी तिथि

60-63ग [देखिए परिशिष्ट 1]

63घ. भारतीय लेखा मानक 102 के अधीन *(शेयर- आधारित भुगतान के लेनदेनों के वर्गीकरण एवं माप में संशोधन)*, संशोधित पैरा 19, 30-31, 33 व 52 और जोड़े गए पैरा 33क–33ज, 59क-59ख, 63घ एवं ख44क-ख44ग और उनसे संबंधित शीर्षक एक प्रतिष्ठान इन संशोधनों को 1 अप्रैल, 2017 को अथवा इसके बाद की तिथि से प्रारंभ होने वाली वार्षिक अवधियों से लागू करेगा।''

(viii) परिशिष्ट ख में, पैरा ख44 के बाद, निम्नलिखित पैरा व शीर्षक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"शेयर- आधारित भुगतान के लेनदेनों में संशोधनों और इससे नकद रूप से निपटाए गए इक्विटी रूप से निपटाए गए वर्गीकरण में परिवर्तन का लेखा

ख44क यदि नकद रूप से निपटाए गए भुगतान के लेन-देन की शर्तों व निबंधनों का संशोधन किया जाता है और उसके परिणामस्वरूप यह इक्विटी रूप से निपटाया गया शेयर- आधारित भुगतान का लेनदेने बन जाता है तो संशोधन की तिथि से लेन-देन का लेखा इस प्रकार होगा, विशेषकर –

(क) इक्विटी रूप से निपटाये गये शेयर - आधारित भुगतान के लेनदेन का माप संशोधन की तिथि को स्वीकृत की गई इक्विटी लिखतों के उचित मूल्य के संदर्भ में होगा। इक्विटी रूप से निपटाए गए शेयर- आधारित भुगतान के लेन-देन की मान्यता संशोधन की तिथि को उस सीमा तक होगी जिस सीमा तक वस्तुएं या सेवाएं प्राप्त हुई हैं।

(ख) नकद रूप से निपटाए गए शेयर - आधारित भुगतान के लेन-देन का दायित्व संशोधन की तिथि को अमान्य किया जाएगा।

(ग) अमान्य किए गए दायित्व की अग्रणीत राशि और संशोधन की तिथि को मान्य इक्विटी की राशि में यदि कोई अंतर आता है तो उसे लाभ या हानि में तत्काल मान्य किया जाएगा।

ख44ख यदि संशोधन के परिणामस्वरूप, निहित अवधि में वृद्धि या कमी हो जाती है तो पैरा ख44क की अपेक्षाओं का प्रयोग संशोधित निहित अवधि में प्रदर्शित होगा। पैरा ख44क की अपेक्षाएं तब भी लागू होती हैं भले संशोधन निहित अवधि के बाद क्यों न हुआ हो।

ख44ग एक नकद रूप से निपटाये गये शेयर - आधारित भुगतान का लेन-देन उस स्थिति में रद्द या निपटाया गया होगा। (लेकिन उस लेन-देन से भिन्न जो निहित शर्तें पूरी न होने के कारण जब्त होने पर रद्द किया गया है)। यदि इक्विटी लिखतें स्वीकृत (ग्रांट)

की जाती हैं और स्वीकृति तिथि को प्रतिष्ठान यह पता लगाता है कि रद्द नकद रूप से निपटाये गए शेयर- आधारित भुगतान के स्थान पर प्रदान किये गये हैं तो प्रतिष्ठान पैरा ख44क और ख44ख को लागू करेगा।''

(ix) परिशिष्ट 1 में पैरा 4 के बाद, निम्नलिखित पैरा सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

"5. 'आईएफआरएस' 2 के पैरा 53-59 और 60-63ग भारतीय लेखा मानक 102 में सम्मिलित नहीं किए गए हैं क्योंकि ये पैरा क्रमशः_ संक्रमणकालीन उपबंधों और प्रभावी तिथि से संबंधित हैं। फिर भी, 'आईएफआरएस' 2 के साथ पैरा संख्याओं की क्रमबद्धता बनी रहे, इस आशय से, भारतीय लेखा मानक 102 में पैरा संख्या को जारी रखा गया है।''

3. मूल नियमों में, शीर्षक "ख. भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस)" के अन्तर्गत "अनुबंध" में "भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस)7*, नकदी प्रवाहों का विवरण,* में:-

(i) पैरा 44 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा व शीर्षक सम्मिलित किय जाएंगे, अर्थात्:–

"वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न दायित्वों में परिवर्तन

44क वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न दायित्वों के परिवर्तनों के, नकदी प्रवाहों एवं गैर-नकदी कारणों से उत्पन्न परिवर्तनों के, मूल्यांकन के लिए वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ताओं को सक्षम बनाने हेतु एक प्रतिष्ठान को प्रकटन प्रदान करने होंगे।

44ख पैरा 44क में अपेक्षा की पूर्ति की सीमा तक, एक प्रतिष्ठान वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न दायित्वों में निम्नलिखित परिवर्तनों का प्रकटन करेगा:-

(क) वित्तपोषण नकदी प्रवाहों से परिवर्तन;

(ख) अनुषंगी प्रतिष्ठानों अथवा अन्य व्यवसायियों का नियंत्रण प्राप्त करने अथवा खोने से उत्पन्न परिवर्तन;

(ग) विदेशी मुद्रा-विनिमय दरों में परिवर्तनों का प्रभाव;

(घ) उचित मूल्यों में परिवर्तन; और

(ङ) अन्य परिवर्तन।

44ग वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न दायित्वों में वे दायित्व हैं जो विगत नकदी प्रवाहों या भावी नकदी प्रवाहों से सम्बंधित हैं और जिन्हें नकदी प्रवाह विवरण में वित्तपोषण गतिविधियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसके अतिरिक्त, पैरा 44क को प्रकटन अपेक्षा वित्तीय आस्तियों (उदाहरणार्थ, वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न दायित्वों, की प्रतिरक्षा के लिए आस्तियां) में परिवर्तनों पर भी लागू होती है, बशर्ते वे वित्तीय आस्तियों के नकदी प्रवाह, विगत नकदी प्रवाह या भावी नकदी प्रवाह, वित्तपोषण गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं।

44घ पैरा 44क की प्रकटन अपेक्षा की पूर्ति का एक तरीका यह है कि वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न दायित्वों के तुलन पत्र में दिए गए प्रारम्भिक शेषों और अन्तिम शेषों का मिलान किया जाए, इसमें पैरा 44ख में पता लगाए गए परिवर्तन भी सम्मिलित होंगे। जब एक प्रतिष्ठान ऐसा प्रकटन करता है तो वह वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ताओं को वह पर्याप्त सूचना भी प्रदान करेगा जिससे वे तुलन पत्र में मिलान में सम्मिलित मदों और नकदी प्रवाह विवरण की मदों में परस्पर सम्बंध स्थापित कर सकें।

44ङ यदि एक प्रतिष्ठान पैरा 44क में अपेक्षित प्रकटन को अन्य आस्तियों एवं दायित्वों में परिवर्तनों के प्रकटन को साथ प्रदान करता है तो वह वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न दायित्वों में परिवर्तनों का प्रकटन और अन्य आस्तियों एवं दायित्वों में परिवर्तन का प्रकटन अलग-अलग करेगा।''

(ii) पैरा 52 के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा व शीर्षक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–

"प्रभावी तिथि

53-59 [देखिए परिशिष्ट 1]

IndiaCode

60 पैरा 44क-44ङ जोड़े गए हैं। जब प्रतिष्ठान इन संशोधनों का प्रथम बार प्रयोग करेगा तो उसे गत अवधियों की तुलनात्मक स्थिति प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। एक प्रतिष्ठान इन संशोधनों का प्रयोग 1 अप्रैल, 2017 से या इसके बाद की तिथि से प्रारम्भ होने वाली वार्षिक अवधियों के लिए करेगा।"

(iii) परिशिष्ट 1 में, पैरा 5 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"6. अन्तर्राष्ट्रीय लेखा मानक (आई एएस) 7 के पैरा 53-59 भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 7 में सम्मिलित नहीं किए गए हैं क्योंकि ये पैरा प्रभावी तिथि से संबंधित हैं। फिर भी, चूंकि अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक की पैरा संख्याओं के साथ क्रमबद्धता बनी रहे अतः इस आशय से भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 7 में इन पैरा संख्याओं को जारी रखा गया है।"

[फा. सं. 01/01/2009-सीएल-V (भाग-VI)]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड(i) में सा.का.नि. 111(अ) तारीख 16 फरवरी, 2015 को प्रकाशित हुआ तत्पश्चात् सा.का.नि. 365(अ) तारीख 30 मार्च, 2016 को संशोधित किया गया।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 2017

G.S.R. 258(E).—In exercise of the powers conferred by section 133 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and sub-section (1) of section 210A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government, in consultation with the National Advisory Committee on Accounting Standards, hereby makes the following rules further to amend the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, namely:—

1. **Short title and commencement.-**(1) These rules may be called the Companies (Indian Accounting Standards) (Amendment) Rules, 2017**.**

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 2017.

2. In the principal rules, in the "Annexure", under the heading "B. Indian Accounting Standards (Ind AS)" in "Indian Accounting Standard (Ind AS) 102, *Share-based Payment*", -

(i) for paragraph 19, the following paragraph shall be substituted, namely:-

"19 A grant of equity instruments might be conditional upon satisfying specified vesting conditions. For example, a grant of shares or share options to an employee is typically conditional on the employee remaining in the entity's employment for a specified period of time. There might be performance conditions that must be satisfied, such as the entity achieving a specified growth in profit or a specified increase in the entity's share price. Vesting conditions, other than market conditions, shall not be taken into account when estimating the fair value of the shares or share options at the measurement date, Instead, vesting conditions, other than market conditions, shall be taken into account by adjusting the number of equity instruments included in the measurement of the transaction amount so that, ultimately, the amount recognised for goods or services received as consideration for the equity instruments granted shall be based on the number of equity instruments that eventually vest. Hence, on a cumulative basis, no amount is recognised for goods or services received if the equity instruments granted do not vest because of failure to satisfy a *vesting condition,* other than a market condition, for example, the counterparty fails to complete a specified service period, or a performance condition is not satisfied, subject to the requirements of paragraph 21. "

(ii) for paragraph 30, the following paragraph shall be substituted, namely:-

"**30 For cash-settled share-based payment transactions, the entity shall measure the goods or services acquired and the liability incurred at the fair value of the liability, subject to the requirements of paragraphs 31–33D. Until the liability is settled, the entity shall remeasure the fair value of the liability at the end of each reporting period and at the date of settlement, with any changes in fair value recognised in profit or loss for the period.** "

(iii) for paragraph 31, the following paragraph shall be substituted, namely:-

"31 For example, an entity might grant share appreciation rights to employees as part of their remuneration

package, whereby the employees will become entitled to a future cash payment (rather than an equity instrument), based on the increase in the entity's share price from a specified level over a specified period of time. Alternatively, an entity might grant to its employees a right to receive a future cash payment by granting to them a right to shares (including shares to be issued upon the exercise of share options) that are redeemable, either mandatorily (for example, upon cessation of employment) or at the employee's option. These arrangements are examples of cash-settled share-based payment transactions. Share appreciation rights are used to illustrate some of the requirements in paragraphs 32–33D; however, the requirements in those paragraphs apply to all cash-settled share-based payment transactions. "

(iv) for paragraph 33, the following paragraph shall be substituted, namely:-

"33 The liability shall be measured, initially and at the end of each reporting period until settled, at the fair value of the share appreciation rights, by applying an option pricing model, taking into account the terms and conditions on which the share appreciation rights were granted, and the extent to which the employees have rendered service to date subject to the requirements of paragraphs 33A–33D. An entity might modify the terms and conditions on which a cash-settled share-based payment is granted. Guidance for a modification of a share-based payment transaction that changes its classification from cash-settled to equity-settled is given in paragraphs B44A–B44C in Appendix B."

(v) after paragraph 33, the following paragraphs and headings shall be inserted, namely:-

"**Treatment of vesting and non-vesting conditions**

33A A cash-settled share-based payment transaction might be conditional upon satisfying specified vesting conditions. There might be performance conditions that must be satisfied, such as the entity achieving a specified growth in profit or a specified increase in the entity's share price. Vesting conditions, other than market conditions, shall not be taken into account when estimating the fair value of the cash-settled share-based payment at the measurement date. Instead, vesting conditions, other than market conditions, shall be taken into account by adjusting the number of awards included in the measurement of the liability arising from the transaction.

33B To apply the requirements in paragraph 33A, the entity shall recognise an amount for the goods or services received during the vesting period. That amount shall be based on the best available estimate of the number of awards that are expected to vest. The entity shall revise that estimate, if necessary, if subsequent information indicates that the number of awards that are expected to vest differs from previous estimates. On the vesting date, the entity shall revise the estimate to equal the number of awards that ultimately vested.

33C Market conditions, such as a target share price upon which vesting (or exercisability) is conditioned, as well as non-vesting conditions, shall be taken into account when estimating the fair value of the cash-settled share-based payment granted and when remeasuring the fair value at the end of each reporting period and at the date of settlement.

33D As a result of applying paragraphs 30–33C, the cumulative amount ultimately recognised for goods or services received as consideration for the cash-settled share-based payment is equal to the cash that is paid.

Share-based payment transactions with a net settlement feature for withholding tax obligations

33E Tax laws or regulations may oblige an entity to withhold an amount for an employee's tax obligation associated with a share-based payment and transfer that amount, normally in cash, to the tax authority on the employee's behalf. To fulfil this obligation, the terms of the share-based payment arrangement may permit or require the entity to withhold the number of equity instruments equal to the monetary value of the employee's tax obligation from the total number of equity instruments that otherwise would have been issued to the employee upon exercise (or vesting) of the share-based payment (i.e. the share-based payment arrangement has a 'net settlement feature').

33F As an exception to the requirements in paragraph 34, the transaction described in paragraph 33E shall be classified in its entirety as an equity-settled share-based payment transaction if it would have been so classified in the absence of the net settlement feature.

33G The entity applies paragraph 29 of this Standard to account for the withholding of shares to fund the payment to the tax authority in respect of the employee's tax obligation associated with the share-based payment. Therefore, the payment made shall be accounted for as a deduction from equity for the shares withheld, except to the extent that the payment exceeds the fair value at the net settlement date of the equity instruments withheld.

33H The exception in paragraph 33F does not apply to:

(a) a share-based payment arrangement with a net settlement feature for which there is no obligation on the entity under tax laws or regulations to withhold an amount for an employee's tax obligation associated with that share-based payment; or

(b) any equity instruments that the entity withholds in excess of the employee's tax obligation associated with the share-based payment (i.e. the entity withheld an amount of shares that exceeds the monetary value of the employee's tax obligation). Such excess shares withheld shall be accounted for as a cash-settled share-based payment when this amount is paid in cash (or other assets) to the employee."

(vi) for paragraph 52, the following paragraph shall be substituted, namely:-

"52 If the information required to be disclosed by this Standard does not satisfy the principles in paragraphs 44, 46 and 50, the entity shall disclose such additional information as is necessary to satisfy them. For example, if an entity has classified any share-based payment transactions as equity-settled in accordance with paragraph 33F, the entity shall disclose an estimate of the amount that it expects to transfer to the tax authority to settle the employee's tax obligation when it is necessary to inform users about the future cash flow effects associated with the share-based payment arrangement."

(vii) after paragraph 52, the following paragraphs and headings shall be inserted, namely:-

"**Transitional provisions**

53-59 [Refer Appendix 1]

59A An entity shall apply the amendments in paragraphs 30–31, 33–33H and B44A–B44C as set out below. Prior periods shall not be restated.

(a) The amendments in paragraphs B44A–B44C apply only to modifications that occur on or after the date that an entity first applies the amendments.

(b) The amendments in paragraphs 30–31 and 33–33D apply to share-based payment transactions that are unvested at the date that an entity first applies the amendments and to share-based payment transactions with a grant date on or after the date that an entity first applies the amendments. For unvested share-based payment transactions granted prior to the date that an entity first applies the amendments, an entity shall remeasure the liability at that date and recognise the effect of the remeasurement in opening retained earnings (or other component of equity, as appropriate) of the reporting period in which the amendments are first applied.

(c) The amendments in paragraphs 33E–33H and the amendment to paragraph 52 apply to share-based payment transactions that are unvested (or vested but unexercised), at the date that an entity first applies the amendments and to share-based payment transactions with a grant date on or after the date that an entity first applies the amendments. For unvested (or vested but unexercised) share-based payment transactions (or components thereof) that were previously classified as cash-settled share-based payments but now are classified as equity-settled in accordance with the amendments, an entity shall reclassify the carrying value of the share-based payment liability to equity at the date that it first applies the amendments.

59B Notwithstanding the requirements in paragraph 59A, an entity may apply the amendments in paragraph 63D retrospectively, in accordance with Ind AS 8, *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors,* if and only if it is possible without hindsight. If an entity elects retrospective application, it must do so for all of the amendments made by *Amendments to Classification and Measurement of Share-based Payment Transactions* under Ind AS 102.

Effective date

60-63C [Refer Appendix 1]

63D *Amendments to Classification and Measurement of Share-based Payment Transactions* under Ind AS 102 amended paragraphs 19, 30–31, 33 and 52 and added paragraphs 33A–33H, 59A–59B, 63D and B44A–B44C and their related headings. An entity shall apply those amendments for annual periods beginning on or after 1 April, 2017."

(viii) In Appendix B, after paragraph B44, the following paragraphs and heading shall be inserted, namely:-

"**Accounting for a modification of a share-based payment transaction that changes its classification from cash-settled to equity-settled**

B44A If the terms and conditions of a cash-settled share-based payment transaction are modified with the result that it becomes an equity-settled share-based payment transaction, the transaction is accounted for as such from the date of the modification. Specifically:

(a) The equity-settled share-based payment transaction is measured by reference to the fair value of the equity instruments granted at the modification date. The equity-settled share-based payment transaction is recognised in equity on the modification date to the extent to which goods or services have been received.

(b) The liability for the cash-settled share-based payment transaction as at the modification date is derecognised on that date.

(c) Any difference between the carrying amount of the liability derecognised and the amount of equity recognised on the modification date is recognised immediately in profit or loss.

B44B If, as a result of the modification, the vesting period is extended or shortened, the application of the requirements in paragraph B44A reflect the modified vesting period. The requirements in paragraph B44A apply even if the modification occurs after the vesting period.

B44C A cash-settled share-based payment transaction may be cancelled or settled (other than a transaction cancelled by forfeiture when the vesting conditions are not satisfied). If equity instruments are granted and, on that grant date, the entity identifies them as a replacement for the cancelled cash-settled share-based payment, the entity shall apply paragraphs B44A and B44B. ”

(ix) In Appendix 1, after paragraph 4, the following paragraph shall be inserted, namely:-

“5. Paragraphs 53-59 and 60-63C in IFRS 2 have not been included in Ind AS 102 as these paragraphs relate to Transitional Provisions and Effective date, respectively. However, in order to maintain consistency with paragraph numbers of IFRS 2, the paragraph numbers are retained in Ind AS 102. ”

3. In the principal rules, in the “Annexure”, under the heading “B. Indian Accounting Standards (Ind AS)” in “Indian Accounting Standard (Ind AS) 7, *Statement of Cash Flows*”, -

(i) after paragraph 44, the following paragraphs and heading shall be inserted, namely:-

“**Changes in liabilities arising from financing activities**

44A An entity shall provide disclosures that enable users of financial statements to evaluate changes in liabilities arising from financing activities, including both changes arising from cash flows and non-cash changes.

44B To the extent necessary to satisfy the requirement in paragraph 44A, an entity shall disclose the following changes in liabilities arising from financing activities:

(a) changes from financing cash flows;

(b) changes arising from obtaining or losing control of subsidiaries or other businesses;

(c) the effect of changes in foreign exchange rates;

(d) changes in fair values; and

(e) other changes.

44C Liabilities arising from financing activities are liabilities for which cash flows were, or future cash flows will be, classified in the statement of cash flows as cash flows from financing activities. In addition, the disclosure requirement in paragraph 44A also applies to changes in financial assets (for example, assets that hedge liabilities arising from financing activities) if cash flows from those financial assets were, or future cash flows will be, included in cash flows from financing activities.

44D One way to fulfil the disclosure requirement in paragraph 44A is by providing a reconciliation between the opening and closing balances in the balance sheet for liabilities arising from financing activities, including the changes identified in paragraph 44B. Where an entity discloses such a reconciliation, it shall provide sufficient information to enable users of the financial statements to link items included in the reconciliation to the balance sheet and the statement of cash flows.

44E If an entity provides the disclosure required by paragraph 44A in combination with disclosures of changes in other assets and liabilities, it shall disclose the changes in liabilities arising from financing activities separately from changes in those other assets and liabilities. ”

(ii) after paragraph 52, the following paragraphs and heading shall be inserted, namely:-

"**Effective date**

53-59	[Refer Appendix 1]
60	Paragraphs 44A–44E have been added. When the entity first applies these amendments, it is not required to provide comparative information for preceding periods. An entity shall apply those amendments for annual periods beginning on or after 1 April, 2017."

(iii) In Appendix 1, after paragraph 5, the following paragraph shall be inserted, namely:-

"6. Paragraphs 53-59 in IAS 7 have not been included in Ind AS 7 as these paragraphs relate to Effective date. However, in order to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 7, the paragraph numbers are retained in Ind AS 7."

[F. No. 01/01/2009-CL-V(Part VI)]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extra-ordinary, part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 111(E), dated the 16th February, 2015, subsequently amended vide G.S.R. 365(E), dated the 30th March, 2016.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.03.20 15:59:34 +05'30'